<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट</u> प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म०प्र०)

प्रकरण कमांक 565 / 13 संस्थित दिनांक—26.06.2013 फा.नं.234503004432013

म०प्र० राज्य द्वारा, थाना मलाजखंड जिला बालाघाट म०प्र०**अभि**य

/<u>विरूद</u>्ध / /

प्रकाश पिता शिवलाल राहंगडाले, उम्र–37 वर्ष, निवासी ग्राम चीचगांव थाना बिरसा जिला बालाघाट म०प्र0

.....आरोपी

<u>ःनिर्णयःः</u>

<u> दिनांक 07 / 07 / 2017 को घोषित]</u>

- 1. आरोपी के विरूद्ध धारा 279, 304ए भा.द.वि. के तहत् दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 05.06.2013 को दोपहर करीब 2:15 बजे ग्राम चीचगांव थाना बिरसा अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50ए3988 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया व मृतक गंगाराम की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 27/13 धारा 174 जा.फौ. में मृतक गंगाराम बघेल की मर्ग जांच एवं कथन, साक्षी राजेश, सुखचंद, राहुल के कथन अनुसार दिनांक 05.06.2013 के दिन के 2/15 बजे मृतक गंगाराम के उपर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.50ए.3988 के चालक प्रकाश राहंगडाले द्वारा तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक लहराते हुए चलाकर द्वाली से गिरने एवं द्वाली के टायर चढ़ने से मृतक गंगाराम की मृत्यु हो गई। मृतक गंगाराम की पी.एम. रिपोर्ट से दांये हाथ की भुजा, पसली में गंभीर चोट लगने से मृत्यु होना पाया गया। आरोपी प्रकाश द्वारा अपराध धारा सदर का कृत्य घटित करना पाये जाने से आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर जमानत—मुचलके पर रिहा किया गया। जप्त ट्रेक्टर द्वाली वाहन कागजात से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 69/13 दिनांक 20.06.2013 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है, कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - (1) क्या आरोपी दिनांक 05.06.2013 को दोपहर करीब 2:15 बजे ग्राम चीचगांव थाना बिरसा अंतर्गत वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 50ए3988 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 - (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर मृतक गंगाराम की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

ः:सकारण निष्कर्षः:

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नोंका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

साक्षी सुखचंद (अ०सा0-01) का कथन है कि वह आरोपी एवं मृतक गंगाराम को जानता है। घटना उसके न्यायालय में साक्ष्य देने के करीब दो साल पूर्व दोपहर लगभग एक-डेढ़ बजे ग्राम जानपुर की है। वह घटना दिनांक को गोबर खाद ट्रेक्टर में भरने के लिए जा रहे थे। घटना के समय द्रेक्टर में वह, राजेश व मृतक गंगाराम थे। घटना के समय ट्रेक्टर आरोपी चला रहा था और वह उसके साथ बैठा था तथा मृतक गंगाराम ट्राली में बैठा था। ट्रेक्टर में खाद भरने के लिए जाते समय गंगाराम ट्रालीसे गिर गया और द्वाली के नीचे आ गया, जिससे गंगाराम को गंभीर चोटें आई थी। घटना के समय आरोपी ट्रेक्टर को धीरे-धीरे चला रहा था। मृतक घायल को घायल अवस्था में मलाजखंड लेकर गये थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। मृतक की मृत्यु स्वयं उसकी गलती से हुई थी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतक गंगाराम घटना के समय द्राली में बैठा हुआ था और सामने इंजन में बैठने के लिये आ रहा था। आरोपी ने ट्रेक्टर को रोका नहीं और मृतक गंगाराम चलते ट्रेक्टर में सामने की ओर आ रहा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना के दौरान यदि आरोपी द्रेक्टर रोक देता तो उक्त दुर्घटना नहीं होती। उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से हुई थी। घटना के समय आरोपी ट्रेक्टर को तेज गति से लहराते हुए चला रहा था। उसने प्र.पी.01 का कथन पुलिस को दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी

फा.नं.234503004432013

ने कहा है कि आरोपी किस ग्राम का रहने वाला है वह नहीं जानता। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि वह पुलिस के कहे अनुसार आरोपी को चालक के रूप में पहचानता है। साक्षी के अनुसार उसने स्वयं आरोपी को घटना के समय द्रेक्टर चलाते हुये देखा था। पुलिस ने उसे बयान पढ़कर नहीं बताये थे और ना ही उसने पढ़कर देखा था।

- साक्षी राजेश (अ०सा0-02) का कथन है कि आरोपी एवं मृतक गंगाराम को जानता है। घटना उसके न्यायालय में साक्ष्य देने के करीब ढेड साल पूर्व दिन के डेढ़ बजे ग्राम जानपुर की है। घटना दिनांक को वह और गंगाराम, दीनदयाल चौधरी के द्रेक्टर में बैठकर एवं अन्य लोगों के साथ गोबर खाद भरने के लिये जा रहे थे। द्वेक्टर को प्रकाश चला रहा था। द्वेक्टर के इंजन वाले भाग पर उन लोग बैठे हुये थे तथा गंगाराम द्राली में बैठा था और द्राली से नीचे गिर गया था, जिससे द्राली के चके में दब गया था। उसके बाद गंगाराम को मलाजखंड अस्पताल ले गये थे। गंगाराम के हाथ, पैर एवं पसली पर चोट लगी थी तथा मलाजखंड अस्पताल में गंगाराम की मृत्यू हो गई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में किया था जो प्र.पी.02 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उसके समक्ष मौकानक्शा प्र.पी. 03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष पंचायतनामा एवं नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.04 एव 05 तैयार किया था, जिसके कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से घटनास्थल से द्रेक्टर मय दस्तावेजों के जप्त किया था, जो प्र.पी.06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.07 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पुछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी द्रेक्टर को चला रहा था और गंगाराम द्राली में बैठा था और सामने इंजन पर बैठने जा रहा था। यदि आरोपी द्रेक्टर को रोक देता तो गंगाराम द्राली से नहीं गिरता और दुर्घटना नहीं होती। उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही से हुई थी। आरोपी द्रेक्टर को लहराते हुये तेज रफतार से चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह लोग द्रेक्टर के इंजन पर बैठे थे और गंगाराम द्वाली में बैठा था। गंगाराम बिना किसी को आवाज दिये द्वाली से इंजन पर आ रहा था। दुर्घटना के समय द्वेक्टर सामान्य गति से चल रहा था और उसकी रफतार करीब 10 कि.मी. प्रति घंटे की थी। उन लोगों ने मृतक गंगाराम को द्राली से गिरते हुये नहीं देखा था। दुर्घटना मृतक गंगाराम की गलती से हुई थी।
- 7. साक्षी राहुल (अ०सा०-03) का कथन है कि घटना उसके न्यायालयीन साक्ष्य देने से दो साल पूर्व दिन के 01:30 बजे ग्राम जानपुर की है। घटना दिनांक को वह, राजेश, सुकचंद, और गंगाराम दीनदयाल चौधरी के ट्रेक्टर में बैठकर एवं अन्य लोगों के साथ गोबर खाद भरने के लिए जा रहे थे। ट्रेक्टर को प्रकाश चला रहा था। ट्रेक्टर के इंजन वाले भाग पर उन लोग बैठे हुए थे तथा मृतक गंगाराम द्राली में बैठा था। मृतक गंगारा द्राली से इंजन में बैठने के लिए आ रहा था तो द्राली से नीचे गिर गया, जिससे वह द्राली के चक्के में दब गया था। उसके बाद मृतक गंगाराम को मलाजखंड अस्पताल में ले गये थे। मृतक गंगाराम के हाथ, पैर एवं पसली में चोट लगी थी। मृतक गंगाराम की मलाजखंड अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पुछताछ की थी। उसे दुर्घटना कारित

करने वाले वाहन का नंबर याद नहीं है। साक्षी को सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय चलते देक्टर से दाली में बैठने के लिए आवाज देकर इंजन में बैठने के लिए आ रहा था। यह भी अस्वीकार किया कि आरोपी द्वारा देक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी देक्टर को धीमी गित से चला रहा था तथा मृतक गंगाराम बिना किसी को आवाज दिये दाली से इंजन में बैठने के लिये आ रहा था। दाली से इंजन में आते समय मृतक गंगाराम गिर गया था। उक्त दुर्घटना में आरोपी की कोई गलती नहीं थी। उक्त दुर्घटना मृतक गंगाराम की गलती से हुई थी। आरोपी देक्टर को लहराते हुये एवं तेज गित से नहीं चला रहा था। उसने पुलिस बयान में देक्टर का नंबर नहीं बताया था, यि पुलिस वालों ने उसके बयान में देक्टर का नंबर लिखे हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता।

- 8. साक्षी पोतनलाल चौधरी (अ०सा०–०८) का कथन है कि वह आरोपी एवं मृतक को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन के लगभग चार साल पूर्व ग्राम जानपुर में स्कूल चौराहा के पास की है। घटना स्थल पर भीड़ होने से जाकर देखा तो वहाँ पर मृतक गंगाराम पड़ा हुआ था, उसे उठाकर मलाजखण्ड अस्पताल लेकर गये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक 05.03.2013 की है। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि गांव का गंगाराम बघेल सारथी गांव के दीनदयाल चौधरी के देक्टर से अपने खेत में खाद उलट रहा था। यह भी अस्वीकार किया कि देक्टर कमांक एम.पी.50ए39८८ के चालक ने तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर द्राली के पिछले चाक से उसके उपर चढ़ाने से गंगाराम की मृत्यु कारित की। साक्षी ने प्र.पी.11 के कथन देने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने प्रकरण में उसके कथन पेश किये हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता।
- 9. साक्षी रामचरण (अ०सा०—०5) का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है तथा मृतक गंगाराम उसका भाई है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पूर्व की है। उसे बताया गया था कि उसका भाई खाद भरने द्रेक्टर में गया था और फोन से सूचना मिली थी कि उसके भाई गंगाराम का द्रेक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, जिस द्रेक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, उसी द्रेक्टर से उसके भाई का मृत शरीर लेकर अस्पताल आये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे घटना की दिनांक, दिन व महीना आज याद नहीं है। घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकता और ना ही उसे किसी के माध्यम से पता चला था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई थी उसे इसकी जानकारी नहीं लगी थी।
- 10. साक्षी राजकुमार (अ०सा०—10) का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके साक्ष्य देने से करीब दो साल पूर्व की है। दिन के करीब तीन—चार बजे उसे पता चला कि उसके मामा गंगाराम का स्कूलटोला में द्रेक्टर से एक्सीडेंट हो गया है। और जब वह पहुँचा तो उसका मामा बेहोश था, जिसे ईलाज के लिए मलाजखण्ड अस्पताल लेकर गये थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त दुर्घटना के समय किसकी टक्कर हुई थी उसे यह जानकारी नहीं लगी थी।

- 11. साक्षी डाँ० संगीता गुप्ता (अ०सा०—०4) का कथन है कि वह दिनांक 05.06.13 को एम.सी.पी.अस्पताल मलाजखण्ड में चिकित्सक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को उसके समक्ष मृतक गंगाराम को मृत अवस्था में लाये जाने पर उसकी मृत्यु होने की तस्दीक करते हुए पुलिस थाना मलाजखंड को सूचना दी थी। उक्त सूचना पत्र प्र.पी.08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- साक्षी डॉ0 एल.एन.एस.उइके (अ०सा०–०६) का कथन है कि वह दिनांक 06.06.13 को मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षक दिलीपसिंह क 1251 थाना मलाजखण्ड द्वारा मृतक गंगाराम पिता नरबद उम्र 38 साल निवासी जानपुर के शव को परीक्षण हेत् लाया गया था। शव का परीक्षण करने पर शरीर ठंडा और पीठ के बल लेटा हुआ था आंख की पुतलियां फैलीं थी हाथ व पैर पर राइगर्स मौजूद थे। मृतक का शरीर दायें तरफ झुका था आंख व मृह खुला था, नाखून व चमडी पेल थे। मृतक के जननांग के दोनों टेस्ट ट्यूब में सूजन थीं, चोट क01 दाये रेडियल हड़डी के पार्श्व भाग में 4 गुणा 4 गुणा 3.5 इंच कटीयूजन व गंभीर किस्म का घाव था। चोट क02 दाऐं भुजा की हुंडुडी में फेक्चर था जो 4 गुणा 2 इंच का घाव था जहां हुड़डी टूटी थी और गंभीर किरम की चोट थी। चोट क03 दायें साईड की सभी पसली की हिडिडयां मध्य भाग से टूटी थी जो गंभीर स्वरूप की थी। मृतक का बाहरी भाग-शव की कद काठी सामान्य औसत की थी, कपाल, मेरूदण्ड, खोपड़ी, सिल्ली और मेरूरज्जू सभी पेल थे। छाती, पर्दा, पसली, कोमलस्य, फुफुस, कंट व श्वासनली, पेरियॉन परकरसियम, हृदय, वृहद वाहिका पेल थे, उदर पेट के भाग का पर्दा, आंतो की झिल्ली, मूह व ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत व उसके भीतर की वस्तुऐं, बायां फेफडा पेल थे, दाहिना फेफडा फटा हुआ व पेल था, बड़ी आंत व उसके भीतर की वस्तुएं पेल थी व मल से भरी थी। यकृत, प्लीहा, मूत्राशय, गुर्दा, पेल थे मूत्राशय खाली था, भीतरी व बाहरी जनेन्द्रिया सामान्य अवस्था में थी। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यू का कारण अत्यधिक गंभीर एवं जानलेवा चोट लगने के फलस्वरूप और अत्यधिक रक्तस्त्राव होने से व शॉक होने से मृत्यू होना संभावित थी मृत्यू उसके शव परीक्षण के 12-24 घंटे के भीतर संभावित थी। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- साक्षी दीनदयाल (अ०सा०-०९) का कथन है कि वह आरोपी को 13. जानता है। घटना दिनांक 05.06.13 की है। घटना के समय आरोपी उसका द्रेक्टर चला रहा था। उसे खबर मिली की करीब दो बजे पटेलटोला और स्कुल चौराहा जानपुर के बीच खाद डालकर वापस आते समय गंगाराम जो द्रेक्टर में सवार था अनियंत्रित होकर द्रेक्टर के नीचे आ गया. जिसकी मलाजखण्ड अस्पताल में मत्य हो गई थी। घटना के संबंध में पुलिस ने उसे धारा-133 मो.व्ही.एक्ट का नोटिस प्रेषित किया था, जिसका जवाब प्र.पी.12 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके यहाँ पर आरोपी के अतिरिक्त दो-तीन ड्रायवर और है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उन लोग भी ट्रेक्टर को चलाते रहते है। यह भी स्वीकार किया कि घटना दिनांक को वह अपने कार्य से बाहर गया हुआ था। यह भी स्वीकार किया कि वह बाहर गया था इसलिये नहीं बता सकता कि घटना दिनांक को उक्त द्रेक्टर कौन चला रहा था। यह भी स्वीकार किया कि उसने धारा–133 मो.व्ही. एक्ट प्र.पी.12 के दस्तावेज पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया था। यह भी स्वीकार किया कि प्र.पी.12 का दस्तावेज पुलिस ने पूर्व से लिखकर लाया था। यह भी स्वीकार किया कि हस्ताक्षर करते समय उसे

जानकारी नहीं थी कि उक्त दस्तावेज में प्रकाश राहंगडाले का नाम लिखा है। यह भी स्वीकार किया कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। यह भी स्वीकार किया कि उसे यह भी जानकारी नहीं मिली थी कि उक्त द्रेक्टर को कौन चला रहा था और दुर्घटना में चालक की गलती थी।

- साक्षी राजेन्द्र कुमार उपाध्याय (अ०सा०–०७) का कथन है कि वह दिनांक 06.06.2013 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मर्ग क 27/13 की जांच उपरांत उसके द्वारा द्रेक्टर कमांक एम.पी.50 / ए-3988 के चालक आरोपी के विरूद्ध अप.क. 79 / 13 धारा 304ए भा.दं.सं. तथा 184 मो.व्ही. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था, प्र.पी.02 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 07.06.2013 को साक्षी राजेश की निशादेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 06.06.13 को मृत्यु जांच में उपस्थित होने के लिए गवाहों को सूचना दिया था, जो प्र.पी.04 है एवं नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.05 गवाहो के समक्ष तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 06.06.13 को मृतक के शव परीक्षण हेत् आवेदन दिया था जो प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.06.13 को साक्षी सुकचंद व राजेश के समक्ष आरोपी से एक द्वेक्टर कं एम.पी.50ए-3988 एवं द्राली नम्बर एम.पी.50ए–4264मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 05.06.13 को आरोपी को गवाह सुखचंद व राजेश के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा साक्षी राजेश, सुखचंद, राह्ल, राजकुमार, पोतनलाल, मायावती तथा रामचरण के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त घटना की अन्य किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट नहीं की थी। साक्षी के अनुसार तहरीर के पश्चात मर्ग की जांच उपरांत उसके द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसके द्वारा प्र.पी.02 झुटा तैयार किया गया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को इंकार किया कि उसके द्वारा प्र.पी. 03 मौका नक्शा थाने में बैठकर बनाया गया था। साक्षी के अनुसार उसने प्र.पी. 03 मौका नक्शा साक्षी राजेश की निशादेही पर घटनास्थल पर बनाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से भी इंकार किया कि प्र.पी. 02 पर साक्षी राजेश के हस्ताक्षर उसने उसे बिना जानकारी दिये करवाया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया प्र.पी.04 की सूचना उसके द्वारा झूठी दी गई थी तथा मृतक के शव परीक्षण के लिये आवेदन झूठा तैयार किया था। यह भी अस्वीकार किया कि उसके द्वारा जप्ती पत्रक प्र.पी.06 एवं गिरफतारी पत्रक प्र. पी.07 झुठा तैयार किया गया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया कि उसके द्वारा संपूर्ण साक्षीगण के कथन अपने मन से लेख किये गये थे तथा उसके द्वारा प्रकरण में झूठी विवेचना की गई थी। 🧷
- 15. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा चालित ट्रेक्टर से कारित दुर्घटना में द्रेक्टर में सवार गंगाराम की मृत्यु हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना के सभी

प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। अन्य सभी साक्षी अनुश्रुत हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। सभी साक्षियों ने घटना में आरोपी प्रकाश की गलती होने अथवा वाहन की गति तेज होने से स्पष्ट इंकार किया है। सभी साक्षियों ने घटना में मृतक गंगाराम की ही गलती होना व्यक्त किया। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। "परिस्थितियां स्वयं प्रमाण है" के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपी द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक गंगाराम की मृत्यु कारित की गयी है। घटना में वाहन पर सवार व्यक्ति की मृत्यु के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर उक्त घटना कारित की गयी हो इस संबंध में न्याय दृष्टांत-Bijuli Swain Vs State of Orissa 1981 Cr.LJ 583(Ori) अवलोकनीय है।

- 📣 अतः अभियुक्त प्रकाश राहंगडाले को भा.दं0सं0 की धारा—279 एवं 304ए के तहत् दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं। 17.
- प्रकरण में जप्तश्रदा वाहन ट्रक क्रमांक ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 18. 50ए3988 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपूर्दगी में है। सुपूर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है. इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किय

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

ासंह छाबड़ा पुजर मिजस्ट्रेट प्रथम १ बैहर, बालाघाट (म.प्र.) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी